बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता यॉत्रिक का कार्यालय

सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।

(अवस्थित करबिगहिया, पटना)

पत्रांक 73 पटना, दिनांक 12.02.2024

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 06/2023-24

1. निविदा निर्गत करने की तिथि : दिनांक 12.02.2024
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि : दिनांक-20.02.2024 से 22.02.2024 तक कार्यालय अवधि में।
4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक-23.02.2024 को 3.00 अपराह्न तक।
5. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक-23.02.2024 को 3.30 बजे अपराह्न में।
6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि एवं समय : इसकी सूचना अलग से दी जायेगी।
7. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :
   1. मुख्य अभियंता (यॉ) जल संसाधन विभाग, पटना।
   2. अधीक्षण अभियन्ता (यॉं), सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक अंचल, पटना।
   3. कार्यपालक अभियन्ता (यॉं) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमंडल, वाल्मी, पटना।
8. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान : क्रमांक 7 में वर्णित कार्यालयों में।
9. कार्य का विवरण :

ग्रुप सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू. में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	Fabrication, supplying, fitting, fixing and installation of Outlet gates 1 No.Kharaitna Mori(R) - 7.135 km, 1 No. Manikpur Mori (R) - 7.500 Km 1 No. Manikpur Mori (R) - 7.695 KM and 1 No. Manikpur Mori (R) - 8.132 Km Khiri Canal Distributory in C.B.C.	8.6299	17300.00	1250.00	15 Days
2.	Fabrication, supplying, fitting, fixing and installation of Outlet gates 1 No. Sikthi Mori(R)- 0.620 km, 1 No. Sikthi Mori(R)- 0.905 Km 1 No. Sikthi Mori(R)- 1.230 Km and 1 No. Sikthi Mori(R)- 1.663 Km in Khiri Canal Distributory in C.B.C.	8.6299	17300.00	1250.00	15 Days

ग्रुप सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (रू. में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
3.	Fabrication, supplying, fitting, fixing and installation of Outlet gates 1 No. Sujatpur Mori(R) - 2.455 km, 1 No. Sujatpur Mori(R) - 2.577 km and 1 No. Mohanji Mori (R) - 2.787 Km and Mohanji Mori (R) -2.790 Km Khiri Canal Distributory in C.B.C	8.6299	17300.00	1250.00	15 Days
4.	Fabrication, supplying, fitting, fixing and installation of Outlet gates 1 No.Sikthi Mori(R) - 2.315 km, 1 No. Laxmigang Mori (R) - 3.788 Km 1 No. Bhairodih Mori (R) - 6.060 KM and 1 No. Kharaitna Mori (R) - 6.373 Km Khiri Canal Distributory in C.B.C	8.6299	17300.00	1250.00	15 Days
5.	Provision of Oiling and Greasing of Canal Gates of Buxar Branch Canal and Chausa Branch Canal before Rabbi Irrigation for Financial year – 2023-24	6.81358	13700.00	1250.00	10 Days
6.	Supplying , Fitting , fixing and installation of 6 Nos. Barriers at different point in Buxar Branch Canal. (i) Gunsej NH-30-2 Nos. Barrier. (ii) Dakhinao Bridge-2 Nos. (iii) Chaurathi Lock -2 Nos.	7.10359	14300.00	1250.00	15 Days

नोट : निविदा के नियमों / शर्तों एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट तथा परिमाण विपत्र के बिक्री स्थानों पर संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण निविदा को वेबसाईट www.prdbihar.gov.in एवं www.wrd.bihnic.in पर देखा जा सकता है।

12-2-24

कार्यपालक अभियंता यांत्रिक

सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी, पटना।

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है, धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

निविदा का नियम एवं शर्त्ते

1. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

2. निविदादाता को सदृश्य यॉत्रिक कार्यों के लिए निविदा के साथ अद्यतन उद्योग आधार प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकि निविदा तथा दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनीकी निविदा के लिए तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय निविदा के लिए होगा। तकनीकी निविदा वाले लिफाफा में स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र, उद्योग आधार निबंधन प्रमाण-पत्र, फैक्ट्री लाइसेंस, शपथ-पत्र, कर्मशाला निरीक्षण प्रतिवेदन, G.S.T. निबंधन संख्या, पैन संख्या, वांछित अग्रधन की राशि एवं चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं अक्षर दोनों में) जमा करना होगा। सिर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात उपरोक्त माप दण्डों के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओ का ही दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) खोला जायेगा। अयोग्य निविदादाताओं का दूसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) यथावत् संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा।

4. अग्रधन की राशि विधिवत कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई विद्युत सह यांत्रिक प्रमण्डल, वाल्मी, पटना के नाम से अद्यतन प्रतिज्ञापित करना होगा। अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवॉं निर्गम) या डाकघर सावधि जमा पासबुक (दो एवं तीन वर्षीय) के रूप में जमा करना होगा। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि होगी जो प्राक्कलित राशि का 2 (दो) प्रतिशत होगा।

5. कार्य की प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है, अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर हीं अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।

6. निविदादाता को कर्मशाला का फैक्ट्री लाइसेंस जो फर्म या फर्म के मालिक के नाम से हो, निविदा के साथ में सलंग्न करना होगा।

7. निविदादाता के कर्मशाला में कार्य के अनुरूप उचित क्षमता का डीजल जेनेरेटिंग सेट, वेल्डिंग मशीन जिससे 8 नम्बर का Electrode आसानी से गलाया जा सके एवं यंत्र-संयत्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

8. निविदा के साथ निविदादाताओं को यांत्रिक कार्य सम्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक)/ अधीक्षण अभियंता (यॉत्रिक) / मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत कर्मशाला का प्रमाण-पत्र, स्थान, उपलब्ध

मशीनों एवं तकनीकी कर्मियों की सूचि संलग्न करना होगा। कर्मशाला प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक ही मान्य होगा।

9. निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

"I the undersigned do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct and if found fake/ forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as blacklisting."

10. निविदाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम उद्वत करने पर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 447(s) दिनांक 16.01.2020 सह पठित ज्ञापांक 447(s) दिनांक 26.01.2020 तथा विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 के कम में अतिरक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Perfromance Guarantee) जमा करना होगा।

11. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी।

12. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

13. संवेदक/एजेन्सी के विपत्र से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती की जायेगी, जिनका अंतिम भुगतान संबंधित असैनिक प्रमंडल के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का सम्पुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा।

14. निविदा निष्पादन के दौरान वैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा। जिसके विरुद्ध विभाग में कालीकरण की कार्रवाई चल रही हो अथवा कार्य-कलाप संदेहास्पद हो।

15. विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के मूल्य की कटौती संवेदक के विपत्र से प्राक्कलित राशि / निविदित राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य में से जो अधिक होगा, की जायेगीं

16. कार्य का एकरारनामा एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर किया जायेगा।

17. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रकृति एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाईयों से स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगें।

18. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्टि के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।

19. G.S.T., आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

20. श्रमिक कल्याण निधि मद में 1 (एक) प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

21. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।

22. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होगें।

23. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य एक वर्ष तक वारंटी के अन्तर्गत करना होगा तथा किसी तरह की खराबी आने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उन्हें मरम्मती कर पुनः क्रियाशील करना होगा।

24. लौह सामग्रियाँ ख्याति प्राप्त निर्माता (यथा SAIL/TATA/RINL/Shyam Steel Industry Ltd. Kolkata) द्वारा निर्मित है एवं अधिकृत बिक्रेता से ही खरीदी गई है, माँगे जाने पर संवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

25. निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही कार्य का भुगतान होगा।

26. अपर मुख्य सचिव, गृह सचिव, बिहार पटना के पत्रांक-29 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

27. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा, उन्हें एकरारनामा के समय निर्धारित अवधि में कार्य पूरा करने से संबंधित स्वहस्ताक्षरित वर्क सिड्यूल (Work Schedule) (जो एकरारनामा का अभिन्न अंग समझा जायेगा)। समर्पित करने के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा एवं कार्यादेश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कर देना होगा, अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

28. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धृत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

12.2.24

कार्यपालक अभियंता यौंत्रिक
सिंचाई विद्युत सह यौंत्रिक प्रमण्डल,
वाल्मी, पटना।